



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आश्विन 1943 (श10)
(सं० पटना 864) पटना, सोमवार, 11 अक्टूबर 2021

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

11 अक्टूबर 2021

सं० एम-01-06/2021-49—बिहार विधान सभा उप निर्वाचन, 2021 के अवसर पर ई०वी०एम०/वीवीपैट का उपयोग करने से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का निदेश सं०-576/3/ईवीएम/2021/एसडीआर/खण्ड-II दिनांक 04.10.2021 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव—सह—
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार ।

भारत निर्वाचन आयोग

निदेश

निर्वाचन सदन अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक: 4 अक्टूबर, 2021/12 आश्विन, शक, 1943

सं. 576/3/ईवीएम/2021/एसडीआर/खण्ड-II—यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह प्रावधान किया गया है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान और मतों का अभिलेखन ऐसी रीति, जैसी कि निर्धारित की जाए, से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे; और

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथाअनुमोदित डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ भी जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए; और

3. यतः, निर्वाचन आयोग ने दिनांक 28 सितम्बर, 2021 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./83/2021 के तहत घोषित 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, मध्यप्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों और 14 राज्यों के 30 विधान सभाओं (अनुलग्नक के अनुसार) के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और निर्वाचन आयोग संतुष्ट है कि सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करवाने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल [वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल(वीवीपैट)] मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, मतदान कार्मिक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए पूर्ण प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ई वी एम) एवं वीवीपैट प्रिंटरों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

4. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, मध्यप्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों और 14 राज्यों के 30 विधान सभाओं (अनुलग्नक के अनुसार) दिनांक 01.10.2021 को अधिसूचित किए गए निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जहां निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन तथा इस विषय में आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुपूरक अनुदेशों के अंतर्गत विहित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे।

5. निर्वाचन आयोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट प्रिंटरों, जिन्हें सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मत डालने और रिकॉर्ड करने के लिए उपर्युक्त मशीनों से जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी एतद्वारा अनुमोदित करता है।

आदेश से,

अश्वनी कुमार मोहल,

सचिव।

अनुलग्नक-1

क्रम सं.	राज्य का नाम	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नाम
1.	संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली एवं दमन औ दीव	दादरा और नागर हवेली
2.	मध्यप्रदेश	28-खण्डवा
3.	हिमाचल प्रदेश	2-मण्डी

क्रम सं.	राज्य का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम एवं संख्या
1.	आंध्रप्रदेश	124-बाडवेल (अ.जा.)
2.	असम	28-गोस्साई गाँव
3.	असम	41-भवानीपुर
4.	असम	58-तमुलपुर
5.	असम	101-मरियानी
6.	असम	107-थोवरा
7.	बिहार	78-कुशेश्वरस्थान (अ.जा.)
8.	बिहार	164-तारापुर
9.	हरियाणा	46-ऐलनाबाद
10.	हिमाचल प्रदेश	08-फतेहपुर
11.	हिमाचल प्रदेश	50-अर्की
12.	हिमाचल प्रदेश	65-जुब्बल-कोटखाई
13.	कर्नाटक	33-सिन्डगी
14.	कर्नाटक	82-हानगल
15.	मध्य प्रदेश	45-पृथ्वीपुर
16.	मध्य प्रदेश	62-रैगाँव (अ.जा.)
17.	मध्य प्रदेश	192-जोबट (अ.ज.जा.)
18.	महाराष्ट्र	90-देगलुर (अ.जा.)
19.	मेघालय	13-मावरैगकेंग (अ.ज.जा.)
20.	मेघालय	24-मावफलांग (अ.ज.जा.)
21.	मेघालय	47-राजबाला
22.	मिजोरम	4-तुईरिअल (अ.ज.जा.)
23.	नागालैंड	58-शामटोर चेस्सोरे (अ.ज.जा.)
24.	राजस्थान	155-वल्लभनगर
25.	राजस्थान	157-धरियावद (अ.ज.जा.)
26.	तेलंगाना	31-हुजूरबाद
27.	पश्चिम बंगाल	7-दिनहाटा
28.	पश्चिम बंगाल	86-सान्तिपुर
29.	पश्चिम बंगाल	109-खारडाह
30.	पश्चिम बंगाल	127-गोसाबा (अ.जा.)

ELECTION COMMISSION OF INDIA**DIRECTION**

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001/ Dated : 4th October, 2021/12 Ashwin, Saka, 1943

No. 576/3/EVM/2021/SDR-Vol.II.—Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and

2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a Printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and

3. Whereas, the Election Commission has considered the circumstances in **3 Parliamentary Constituencies of UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Madhya Pradesh & Himachal Pradesh States & 30 Assembly Constituencies of 14 States(As per Annexure-I), announced vide the Election Commission's Press Note No. ECI/PN/83/2021 dated 28th September, 2021** and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines (EVMs) and Printers for printing Paper Trail [Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT)] are available for taking the poll in above said UT & States, the polling personnel are well trained in efficient handling of EVMs and 'VVPAT Printers' and the electors are also fully conversant with the operation of the EVMs and the VVPAT Printers;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby specifies **3 Parliamentary Constituencies of UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Madhya Pradesh & Himachal Pradesh States & 30 Assembly Constituencies of 14 States(As per Annexure-I) notified on 01-10-2021** as the constituencies in which the votes, shall be given and recorded by means of EVMs and VVPAT printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Election Commission from time to time on the subject.

5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT Printers as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in all the Constituencies.

By Order,
ASHWANI KUMAR MOHAL,
SECRETARY.

Annexure-I

Sl.No.	Name of State	Number & Name of Parliamentary Constituency
1.	UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	Dadra & Nagar Haveli
2.	Madhya Pradesh	28-Khandwa
3.	Himachal Pradesh	2-Mandi
Sl.No.	Name of State	Number & Name of Parliamentary Constituency
1	Andhra Pradesh	124-Badvel(SC)
2	Assam	28-Gossaigaon
3	Assam	41-Bhabanipur
4	Assam	58-Tamulpur
5	Assam	101-Mariani
6	Assam	107-Thowra
7	Bihar	78-Kusheshwar Asthan(SC)
8	Bihar	164-Tarapur
9	Haryana	46-Ellenabad
10	Himachal Pradesh	08-Fatehpur
11	Himachal Pradesh	50-Arki
12	Himachal Pradesh	65-Jubbal-Kotkhari
13	Karnataka	33-Sindgi
14	Karnataka	82-Hangal
15	Madhya Pradesh	45-Prithvipur
16	Madhya Pradesh	62-Raigaon(SC)
17	Madhya Pradesh	192-Jobat(ST)
18	Maharashtra	90-Deglur(SC)
19	Meghalaya	13-Mawryngkneng(ST)
20	Meghalaya	24-Mawphlang(ST)
21	Meghalaya	47-Rajabala
22	Mizoram	4-Tuirial(ST)
23	Nagaland	58-Shamtorr-Chessore(ST)
24	Rajasthan	155-Vallabhnagar
25	Rajasthan	157-Dhariawad(ST)
26	Telangana	31-Huzurabad
27	West Bengal	7-Dinhata
28	West Bengal	86-Santipur
29	West Bengal	109-Khardaha
30	West Bengal	127-Gosaba(SC)

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 864-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>